

प्रवेश और फीस नियमन समिति उत्तर प्रदेश

प्राविधिक शिक्षा विभाग

संख्या-5104/प्र0फी0नि0स0/2023

लखनऊ दिनांक 17 जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली-2015 अधिनियम-2006 की धारा-14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या-4781/सोलह-1-14(34)/2014 दिनांक 22.12.2015 द्वारा निर्गत की गयी है।

2. विनियमावली-2015 में दी गई व्यवस्थानुसार प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी क्षेत्र की समस्त डिग्री/डिप्लोमा एवं सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 (तीन वर्ष) के लिए मानक शुल्क निर्धारित किया जाना है। प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा निम्नवत् मानक शुल्क निर्धारित किया जाता है:-

(क) डिग्री स्तरीय संस्थानों हेतु:-

निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों हेतु:-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 (तीन वर्ष हेतु)
01	बी0टेक0	61,200.00
02	बी0फार्मा0	70,500.00
03	बी0आर्की0	64,300.00
04	बी0एफ0ए0	94,900.00
05	बी0एफ0ए0डी0	94,900.00
06	बी0एच0एम0सी0टी0	77,900.00
07	एम0बी0ए0	66,500.00
08	एम0सी0ए0	61,200.00
09	एम0फार्मा0	76,500.00
10	एम0आर्की0	64,000.00

11	एम0टेक0	64,000.00
12	समस्त बी0 वोर्केशनल पाठ्यक्रम हेतु	29,900.00
13	एम0बी0ए0 इन्ट्रीग्रेटेड पाठ्यक्रमों हेतु	28,700.00

(ख) डिप्लोमा स्तरीय संस्थानों हेतु:-

- निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थानों में तीन वर्षीय सभी पाठ्यक्रम एवं फार्मेसी पाठ्यक्रम का शुल्क:-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 (तीन वर्ष हेतु)
01	डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग	33,600.00
02	डी0फार्मा0	50,100.00
03	डी0आर्की0	33,700.00
04	डी0एच0एम0सी0टी0	34,800.00

- निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थानों में दो वर्षीय (डी0 फार्मा को छोड़कर) एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क:-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 (तीन वर्ष हेतु)
01	दो वर्षीय एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क (डी0 फार्मा0 के अतिरिक्त)	25,000.00

- सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थानों में चल रहे पाठ्यक्रमों का शुल्क:-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 (तीन वर्ष हेतु)
01	समस्त पाठ्यक्रमों हेतु	रु0 19,000.00

उपरोक्त निर्धारित मानक शुल्क में छात्रावास शुल्क, विश्वविद्यालय/बोर्ड परीक्षा शुल्क एवं काशनमनी की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं। समिति द्वारा

अभिनिश्चित उक्त फीस ही ट्यूशन फीस के रूप में मान्य होगी। समिति द्वारा उपरोक्त निर्धारित फीस संस्था में प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के संस्था से पाठ्यक्रम को पूर्ण करने तक प्रयोज्य होगी। समिति द्वारा निर्धारित फीस की सूचना समिति की अधिकृत वेबसाइट www.afrcup2018.in पर प्रदर्शित है एवं संस्थानों को भी निर्धारित फीस की सूचना अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना आज्ञापक होगा। तत्सम्बन्ध में सूचना समिति की ई0मेल0आई0डी0 afrcup1155@gmail.com पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

संस्थान द्वारा उक्त दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो यह मान लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा विनियमावली-2015 के बिन्दु-12 का उल्लंघन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में समिति स्वतः संज्ञान लेकर विनियमावली-2015 के बिन्दु-11 में दिये गये प्राविधानानुसार कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान की होगी।

3. मानक शुल्क से असहमति की दशा में-

ऐसी संस्थाएँ जो निर्धारित मानक शुल्क से असहमत होने की दशा में मानक शुल्क से भिन्न शुल्क निर्धारित करवाना चाहती हैं उन्हें विनियमावली-2015 के बिन्दु4(4) एवं 05 के नियम के प्राविधानों के क्रम में समिति के समक्ष मानक शुल्क आदेश निर्गत होने के विलम्बतम 20 दिन के अन्दर अपना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव/लेखा विवरण एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों सहित समिति की अधिकृत वेबसाइट www.afrcup2018.in पर अपना आन-लाईन आवेदन निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(1) विनियमावली-2015 के बिन्दु-5 के उप बिन्दु (आठ) में दी गयी व्यवस्थानुसार शुल्क का आगणन पिछले तीन वर्षों की प्रमाणित आडिटेड बैलेन्स सीट के आधार पर किया जायेगा।

- जिन संस्थानों की नवीनतम आडिटेड बैलेन्स सीट 2022-23 तैयार होगी, उन संस्थानों के शुल्क आगणन हेतु 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 की आडिटेड बैलेन्स सीट ली जायेगी तथा शुल्क आगणन 2022-2023 की आडिटेड बैलेन्स सीट के आधार पर किया जायेगा।

- जिन संस्थानों की नवीनतम आडिटेड बैलेन्स सीट 2022-23 तैयार नहीं होगी, उन संस्थानों के शुल्क आगणन हेतु 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 की आडिटेड बैलेन्स सीट ली जायेगी तथा शुल्क आगणन 2021-2022 की आडिटेड बैलेन्स सीट के आधार पर किया जायेगा।
- (2) संस्थान द्वारा आवेदन/प्रस्ताव में ट्रस्ट की एवं संस्थान की पृथक-पृथक बैलेन्स शीट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (3) संस्थान में डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय/प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त कोई अन्य पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं तो उनका विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (4) संस्थाओं द्वारा आवेदन के साथ उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली-2015 के विनियम-4(4) एवं 5 में निर्धारित बिन्दुओं के सापेक्ष व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख प्रस्तुत करेगी, जिनके अभाव में उस मद के व्यय का संज्ञान नहीं लिया जायेगा एवं संस्थाओं द्वारा डिफीशिएन्सी रिमूवल से सम्बन्धित अभिलेख सूचना प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर आनलाईन/ई०मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित अवधि के पश्चात डिफीशिएन्सी से सम्बन्धित प्राप्त होने वाले अभिलेखों पर समिति द्वारा विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उक्त विनियमावली-2015 के संगत प्राविधानों के तहत शुल्क का आगणन कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी संस्थान की होगी।
- 4. निजी क्षेत्र की समस्त डिग्री/डिप्लोमा/सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थानों द्वारा समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क से इतर शुल्क हेतु आनलाईन आवेदन नहीं किया जाता है तो उन सभी संस्थानों पर शैक्षिक सत्र 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 (तीन वर्ष) हेतु पृथक-पृथक मानक शुल्क आदेश निर्गत न करते हुए समान रूप से मानक शुल्क प्रभावी होगा।
- 5. निजी क्षेत्र की समस्त डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थानों द्वारा प्रवेश के समय छात्रों से समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न मदों यथा— बुक बैंक, आई—कार्ड,

प्रयोगात्मक शुल्क, टेस्ट फीस, लेट-फीस, पर्सनलटी ग्रूमिंग एण्ड डेवलपमेन्ट प्रोग्राम, इन्डस्ट्रियल भ्रमण एवं इंस्टी० इंडस्ट्री इन्टरफेस इत्यादि मदों में शुल्क की मांग किये जाने के प्रकरण संज्ञान में आते हैं तो यह विनियमावली-2015 के संगत नियम-10 का सीधा उल्लंघन है। अतएवं ऐसी दशा में समिति संस्थान के विरुद्ध विनियमावली-2015 के बिन्दु-11 में दिये गये प्राविधानानुसार कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान की होगी।



राजेश चन्द्रा
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशक/प्राचार्य, उ०प्र० में संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री एवं डिप्लोमा स्तरीय समस्त अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थान।
- (2) प्राचार्य, उ०प्र० में संचालित समस्त सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थान।
- (3) कुलसचिव, डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- (4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० कानपुर।
- (5) सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
- (6) सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ।
- (7) उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 एवं 3, उ०प्र० शासन।
- (8) प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग एवं अल्प संख्यक विभाग।
- (9) समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- (10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से



(राजेश चन्द्रा)
सचिव

**उत्तर प्रदेश शासन
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1**

संख्या- 731645/2024/16-1099/1124/20199 (Part-I)

लखनऊ दिनांक 03 सितम्बर, 2024

कार्यालय-जाप

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम-2006 की धारा-4 के अन्तर्गत प्रख्यापित निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) समिति का गठन नियमावली-2008 की धारा-3 (1) अनुसार शासन के कार्यालय आदेश संख्या-2463/2008-सोलह-1-5-(डब्लू-48)/2003 दिनांक 27.06.2008 द्वारा निजी क्षेत्र की अभियन्त्रण/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के फीस निर्धारण हेतु प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2. अधिनियम की धारा-14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या-781/सोलह-1-14(34)/2014 दिनांक 22.12.2015 द्वारा 30प्र0 निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन विनियमावली-2015 निर्गत की गयी। उक्त विनियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा/सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं में समिति द्वारा वर्ष 2017-18 (एक वर्ष) हेतु मानक शुल्क एवं मानक शुल्क से असन्तुष्ट संस्थाओं से प्राप्त प्रत्यावेदनों को निस्तारण करते हुए वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (कुल तीन वर्षों) के लिए मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया तथा वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (तीन वर्षों) के लिए मानक शुल्क एवं मानक शुल्क से असन्तुष्ट संस्थाओं से प्राप्त प्रत्यावेदनों को निस्तारण करते हुए वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (कुल तीन वर्षों) के लिए मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया।

3. शैक्षिक सत्र 2024-25 (एक वर्ष) हेतु समिति द्वारा दिनांक 07.08.2024 की सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा/सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु छात्रहित के दृष्टिगत वर्ष 2023-24 हेतु पूर्व निर्धारित मानक शुल्क को ही शैक्षणिक वर्ष 2024-25 (एक वर्ष) हेतु यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।

4. उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2017-18 में सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (तीन वर्ष) तथा वर्ष 2018-19 में सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (तीन वर्ष) के लिए जिन संस्थानों का मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया था, उन संस्थानों हेतु शासन द्वारा पूर्व वर्ष 2023-24 की भांति शैक्षणिक वर्ष 2024-25 (एक वर्ष) के लिए पूर्व में निर्धारित शुल्क ही प्रभावी होगा।

Signed by Annavi

Dineshkumar

(अवकाश दिनांक 24) 18:50:53

विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मां० मंत्री, प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले, उ०प्र०।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
4. कुल सचिव, डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।
6. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
7. सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी।
8. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
9. सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति को इस निर्देश के साथ कि वे अपने स्तर से सम्बंधित संस्थानों को अवगत कराये।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनन्नावि दिनेशकुमार)
विशेष सचिव।

प्रवेश और फीस नियमन समिति, उ०प्र०

गौतमबुद्ध मार्ग, बासमण्डी चैराहा, लखनऊ।

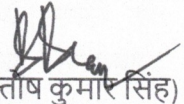
द्वारा ई०मेल०

पृ०सं०-5448-49/प्र०फी०नि०स०/शुल्क आदेश/2024

दिनांक 03 सितम्बर, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक/प्राचार्य, उ०प्र० में संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा/सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय अभियन्तण एवं व्यावसायिक संस्थाओं को उत्तर प्रदेश शासन प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-731645/2024/16-1099/ 1124/20199 (Part-I) दिनांक 03 सितम्बर, 2024 के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष प्रवेश और फीस नियमन समिति को महोदय के अवलोकनार्थ।


(डा० सन्तोष कुमार सिंह)
सचिव